कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.)
Phone: 0755-2540590, 4050000-07 Email: deangmc_bpl@yahoo.co.in
Fax: 0755-2541376 **Website -www.gmcbhopal.net**

क्रमांक 16153/एम.सी./अराज–5/2021 भोपाल, दिनांक ...../05/2021

// गैर शैक्षणिक सवंर्ग की भर्ती सूचना //

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1748/स्था/अराज/2020 दिनांक 26.12.2020 के तहत मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 द्वारा प्राप्त गैर शैक्षणिक संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल एवं संबद्ध चिकित्सालय के गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर अभ्यार्थियों से भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। निम्नलिखित पदों पर आवेदन का प्रारूप एम.पी.ऑनलाइन की बेवसाईट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 14.07.2021 समय रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.	पदनाम	ST	SC	OBC	UR	EWS	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	Total
1	स्टेनोग्राफर	0	0	0	1	0	0	0	1
2	स्टेनोटायपिस्ट	3	2	3	2	1	0	0	11
3	कोडिंग क्लर्क	1	0	1	2	0	0	0	4
4	रिकार्ड क्लर्क	4	3	6	7	2	0	0	22
5	डाक्यूमेन्टलिस्ट	0	0	1	1	0	0	0	2
6	मेडिकल सोशल वर्कर	0	1	0	0	0	0	0	1
7	सायकेट्रिक सोशल वर्कर	0	0	1	1	0	0	0	2
8	असिस्टेंट लायब्रेरियन	1	1	1	0	0	0	0	3
9	केटलॉगर	0	0	0	1	0	0	0	1
10	स्टुवर्ड	1	0	1	2	0	0	0	4
11	भृत्य	4	0	12	0	5	0	0	21
	कुल योग	14	7	26	17	8	0	0	72

नोट:– रिक्त पदों की संख्या संवर्ग में घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

1. पद अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

1. **स्टेनोग्राफर** :– 1. अभ्यार्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पात्रोपाधि/प्रमाण–पत्र हो। 3.किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा परिषद से अंग्रेजी अथवा हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र। 4. मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण–पत्र (सी.पी.सी.टी) परीक्षा आवश्यकतानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेंजी अथवा दोनो में उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
2. **स्टेनाटायपिस्ट** :– 1. अभ्यार्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पात्रोपाधि/प्रमाण–पत्र हो। 3. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर यथामान्य अंग्रेंजी अथवा हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा 80 शब्द प्रतिमिनिट की गति से उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र। 4. सी.पी.सी.टी परीक्षा आवश्यकतानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेंजी अथवा दोनों उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

निरंतर–2

DEAN

3. **कोडिग क्लर्क** :–1. अभ्यार्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पात्रोपाधि/प्रमाण–पत्र हो। 3. म.प्र.शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण–पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण। 4. मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में 01 वर्ष का कोडिग कार्य का अनुभव अनिवार्य।

4. **रिकार्ड क्लर्क** :– 1. अभ्यार्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पात्रोपाधि/प्रमाण–पत्र हो। 3. म.प्र.शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण–पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण।

5. **डाक्यूमेन्टलिस्ट** :–1. अभ्यार्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पात्रोपाधि/प्रमाण–पत्र हो। 3. म.प्र.शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण–पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण।

6. **मेडिकल सोशल वर्कर** :– 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/ मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.एस.डब्ल्यू. उपाधि।

7. **सायकेट्रिक सोशल वर्कर** :– 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

8. **असिस्टेंट लायब्रेरियन** :– 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लायब्रेरी साईन्स में स्नातक उपाधि।

9. **केटलॉगर** :–1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लायब्रेरी साईन्स में स्नातक उपाधि।

10. **स्टुवर्ड** :– 1. बी.एस.सी. (होम साईन्स) जिसमे एक विषय (डाईटिटिक्स) हो।

11. **भृत्य** :– 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण।

2. गैर शैक्षणिक के पद नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्तेः–

1. चयन उपरांत अभ्यार्थी को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता वं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/– प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् ही अभ्यार्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।
2. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर के अंतिम आदेश के अधीन होगी।

3. वेतनमान एवं अन्य भत्तेः–

1. महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होगें।

4. आरक्षणः–

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।
4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–6–1/ 2002/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1988 के नियम–4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत

7. दिव्यांगन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8–4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितम्बर 2018 अनुसार रहेगा।

अस्थि बाधित	अस्थि बाधित (45% to 50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।

Notesheet

8. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र.एफ 07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

5. आवेदन शुल्कः–

अनारक्षित वर्ग हेतु 1200/–(एक हजार दो सौ रूपये) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 1000/–(एक हजार रूपये) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) एवं निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिए 1100/– (एक हजार एक सौ रूपये) राशि ऑनलाईन जमा होगी।

6. आयु सीमाः–

1. अनारक्षित वर्ग हेतु –न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/नियम–न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोटः– आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

7. सामान्य शर्तेः–

1. उम्मीदवार का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या संवर्ग में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. ऐसे अभ्यार्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों का पूर्ण करते हो उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है, उन्हे शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।
5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।
6. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में मान्य होगा।
9. ऐसे आवेदक जिनका दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

निरंतर––4

10. वैवाहिक स्थिति–एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
11. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होगी।
12. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा। अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये है। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

8. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्रः–

नियुक्त कर्मचारी को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पदति करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।

9. अनहर्तायें:–

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगाः–

1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हो जिनमें फेरबदल किया गया हो या
2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
3. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
4. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई होः–

अ. महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे प्रकरणों में शासन ही अन्तिम निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन इस बात से सहमत हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।

स. आवेदक के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध नहीं पाए गए।

द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

10. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्न लिखित प्रमाण–पत्र आवश्यक है:–

1. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण–पत्र।
2. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र।

11. उपरोक्तानुसार पद पर आवेदन संबंधी समय तालिका:–

क्रं.	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	15 जून 2021
2	ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि	14 जुलाई 2021
3	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	15 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक
4	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अन्तिम तिथि	16 जुलाई 2021

उपरोक्त तिथियां गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।

एम.पी.ऑनलाइन तथा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल की वेबसाईट का समय–समय अवलोकन करते रहे। यदि किसी अभ्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यार्थी त्रुटि सुधार की अन्तिम दिनांक तक संबंधित त्रुटि को एम.पी.ऑनलाइन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क 50 रूपये तथा जी.एस.टी. जमा कर सुधार कर सकेंगे। परन्तु उसके पश्चात् भी यदि अभ्यार्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यार्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

12. आवेदन कैसे करे:–

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंग से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाईन www.mponline.gov.in की वेबसाईट उपलब्ध है।
3. आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियां उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है:–
   1. जन्मतिथि के समर्थन में हाईस्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्मप्रमाण–पत्र।
   2. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/फाईनल ईयर की मार्कशीट।
   3. मध्यप्रदेश में संबंधित काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
   4. फोटो पहचान प्रमाण–पत्र।
   5. उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
   6. 12वीं कक्षा की अंकसूची एवं अन्य आवश्यक अर्हताएं।
   7. जाति प्रमाण–पत्र। (शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में)

   प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:–
   आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाइन www.mponline.gov.in पर दिये लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियास्कों के माध्यम से भरा जा सकता है एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये एम.पी.ऑनलाइन www.mponline.gov.in पर Authoroized kiosk list link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं अपना ऑनलाईन फार्म भर सकते है।

निरंतर–6

DEAN

5. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः–

- आवेदन एम.पी.ऑनलाइन www.mponline.gov.in की वेबसाईट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवायें ऑप्शन पर क्लिक करें फिर ड्रापडाउन से आवेदन ऑप्शन से क्लिक करने के पश्चात् गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल के लोगों पर क्लिक कर एप्लीकेशन एण्ड सर्विसेस ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिये दी गई लिंग पर क्लिक करें।
- आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी. ऑनलाइन www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल की वेबसाईट www.gmcbhopal.net पर दिये गये लिंक से दी गई जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ लें। इसके उपरांत ही ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही–सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse ब्राउस दिखाई देगा। जिसमें आवेदक अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है, इस बटन के नीचे आवेदक के फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्केन करें Jpg 200 KB size or Minium फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन पर क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्केन कर सेव किया है उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
- आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूपसे भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी है यह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई तो तो पुनः उसे ठीक करें, इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान क लिये Proceed to Payment बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देगे।

  अ–क्रेडिट/डेबिट कार्ड ब. इंटरनेट बैंकिग

  अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान–आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिये Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा इसमें क्रेडिट/डेबिट का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के उपरांत कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी, जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखे।

  ब. इंटरनेट माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान– आवेदक चाहे तो घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग सुविधा के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग सुविधा से कर सकता है। इसके लिए आवेदक के पास नेट बैंकिग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग ऑप्शन दिखाई देगा इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट आवश्यक लें।

निरंतर–7

6. एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:–
आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग–इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग–इन करेगा। इसके उपरांत सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियॉं फार्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारियॉं फार्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक को फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारियॉं सही–सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

7. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरी उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जा सकेगी।

8. यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से **Pay for unpain Application** लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।

9. इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application** मे उक्त जानकारियॉं भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्ष शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ ावेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें। ऑनलाइन पेमेंट करने पर, यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता हे / पेमेंट रसीद जेनरेट नहीं हो रही है तो तत्काल पुनः पेमेंट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

10. ऐसे आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे जिन्हे ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नही होगा। ऐसा करने पर इन्हे मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट :– यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में काई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर तत्काल संपर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाईन के होम पेज पर संपर्क करें में क्लिक करें तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ए.पी. ऑनलाइन लिमिटेड तीसरा फ्लोर स्टेट आई.टी. पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गांधी नगर भोपाल – 462033, फोन :– 07556720200/07556720222 पर संपर्क करें।

Notesheet

महत्वपूर्ण टीपः–

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) की वेबसाईट www.gmcbhopal.net का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एव महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय–समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल

GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL
29/5/21